D:/Estt/AAO-II/Tender

कार्यालय–जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

क्रमांक : प–जि.न्याया. / लेखा / नवीन क्रय / कम्प्यूटर / 2024–25 / 1563-1585 दिनांक 29-01-2025

एस. आर. प्ररूप–14

बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 02 / 2024–25

[राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 का नियम–43(1) व (2) सपठित 43(5)]

(NIB No. ……………………………………)

कोटा न्यायक्षेत्र में नवसृजित **न्यायालय** <u>**अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांगोद, जिला–कोटा**</u> के उपयोग हेतु निम्नवत विगत की विषयवस्तु / सामान / मेटेरियल **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम–15 के अन्तर्गत खुली बोली प्रक्रिया से क्रय करने हेतु** विनिर्माताओं, प्राधिकृत वितरक एवं विक्रेता / प्राधिकृत स्टॉकिस्ट / प्राधिकृत व्यवहारी / प्राधिकृत सेवा केन्द्र तथा सद्भावी व्यवहारियों, **जो वस्तु एवं सेवाकर (GST) के अन्तर्गत पंजीकृत हो,** से S.P.P.P पोर्टल पर प्रकाशित होने अथवा **दिनांक 29.01.2025 से 12.02.2025 तक दोपहर 02:00 बजे तक** बोली प्रपत्र विक्रय किए जाकर, <u>दिनांक 13.02.2025 को 02:00 बजे तक मोहरबन्द बोली</u> RTPP एक्ट–2012 एवं RTPP नियम–2013 में निहित प्रावधान एवं GF&AR पार्ट–II के एस. आर. प्ररूप–16 की यथा उपान्तरित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती हैं **एवं प्राप्त बोलियाँ दिनांक 13.02.2025 को समय 04:00 बजे जिला न्यायालय अथवा अध्यक्ष, उपापन समिति के अवकाशागार में उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जाएगी।**

क्र. सं.	उपापन की विषयवस्तु का विवरण मय स्पेसिफिकेशन	मात्रा	अनुमानित राशि	बोली प्रतिभूति (EMD) राशि 2%	बोली प्रपत्र शुल्क	आपूर्ति अवधि	बोली विक्रय अवधि	बोली प्राप्ति दिनांक एवं समय अवधि	प्राप्त बोलियाँ खोलने की दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**कम्प्यूटर** (डेस्कटॉप) मॉनीटर 19.5″	3	114000/-	5100/-	500/-	30 दिन	S.P.P.P पोर्टल पर प्रकाशित होने अथवा 29.01.25 से 12.02.25 (2 PM तक)	13.02.25 को 2:00 पी. एम.	13.02.25 को 4:00 पी. एम
02	**यू.पी.एस. (600 VA)**	3	6000/-						
03	**प्रिन्टर (लेजर)**	3	60000/-						
04	**फोटो कॉपियर मशीन**	1	75000/-						
	कुल राशि		**255000/-**	**5100/-**	**500/-**				

<u>आवश्यक शर्तें:–</u>

1. <u>बोली प्रतिभूति</u> राशि का डी. डी. <u>जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा</u> के नाम से / पक्ष में देय होगा।
2. बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष उपापन समिति / क्रेता अधिकारी को रहेगा।
3. बोली से सम्बंधित विस्तृत शर्तें एवं विनिर्देश कार्य दिवसों में उपापन संस्था के कार्यालय में तथा राज्य लोक उपापन पोर्टल **http://www.sppp.rajasthan.gov.in (UBN No. ……………………………)** पर एवं विभागीय वेबसाइट **http://www.districts.ecourts.gov.in/kota** पर देखी जा सकती है।
4. बोली प्रपत्रों का विक्रय, <u>गुड्स एवं सर्विस टेक्स (GST) के अन्तर्गत पंजीकृत</u> फर्मों को रजिस्ट्रेशन की प्रति उपलब्ध करवाने पर ही किया जावेगा तथा सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
5. बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि को सार्वजनिक / राजपत्रित अवकाश पड़ने पर बोली अगले कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार बोली खोलने की तिथि पर अवकाश घोषित हो जाने पर बोलियाँ अगले कार्य दिवस को तय समय पर खोली जावेगी।

अध्यक्ष क्रय समिति
कार्या. जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कोटा (राज०)

कृ.पृ.उ

3

D:/Estt/AAO-II/Tender

अन्य शर्तेः–

1. बोलियाँ विहित बोली प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेंगी, जिसे इस कार्यालय से नकद 500/– रूपए भुगतान कर प्राप्त किया जा सकेगा। RTPP नियम 45(1) के अनुसार बोली दस्तावेज SPPP पोर्टल से डाउनलोड करने पर इसकी कीमत का संदाय भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा के पक्ष में डी.डी. द्वारा किया जा सकेगा। इस राशि का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो बोलियाँ विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी व नामंजूर करने योग्य होगी।
2. बोलियाँ मोहरबन्द लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से कोटा न्यायक्षेत्र में नवसृजित न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांगोद, जिला–कोटा के उपयोग हेतु "नवीन आईटम क्रय एवं बोली आमंत्रण सूचना संख्या" लिखा होगा, जो तय दिनांक व समय तक पहुँच जानी चाहिए। रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित निविदा के विलम्ब के लिए निविदादाता फर्म ही उत्तरदायी रहेगी।
3. जो भी बोलियाँ विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त होंगी, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा।
4. सामान/सामग्री को जिला न्यायालय परिसर या वांछित आपूर्ति स्टेशन (सांगोद मुख्यालय) तक पहुँचाने का लगेज/परिवहन व्यय एवं इन्स्टॉलेशन चार्ज अलग से देय नहीं होगा।
5. माल की आपूर्ति अनुमोदित स्पेसिफिकेशन एवं मेक के अनुसार करनी होगी अन्यथा आपूर्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
6. उपापन समिति द्वारा आईटम्स वाईज निर्णय लिया जावेगा।
7. उद्धृत दर में GST व अन्य सभी प्रभार/शुल्क सम्मिलित होंगे तथापि अलग से देय नहीं होंगे।
8. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। स्पेसिफिकेशन एवं अनुमोदित नमूनों के अनुरूप आपूर्ति का प्रभारी अधिकारी (स्टोर) के सत्यापन एवं संचालन के बाद ही ECS/NEFT पद्धति से भुगतान सम्बन्धित न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांगोद, जिला–कोटा के लेखाशीर्षक 2014–00–105–(19)–[01] की विस्तृत इकाई–05 कार्यालय व्यय में बजट उपलब्धता के अध्यधीन फर्म के बैंक खाते में अन्तरित किया जाएगा।
9. निविदत्त दरें निविदा खोलने की तिथि से 90 दिन तक वैध रहेंगी।
10. बोली शर्तों के किसी भी प्रकार के संदेह अथवा मन्शा के सम्बंध में बोली प्रपत्र खरीदने/डालने से पूर्व कार्यालय समय में क्रय समिति से स्पष्टता प्राप्त की जा सकती है।
11. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र कोटा ही होगा।

अध्यक्ष, उपापन समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

क्रमांक : प–जि.न्याया./लेखा/नवीन क्रय/कम्प्यूटर/2024–25/ 1564-1585 दिनांक : 29-01-2025

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, **राजस्थान उच्च न्यायालय**, जोधपुर (राजस्थान) को उनसे प्राप्त बजट आवंटन पत्र क्रमांक 5913–23 दिनांक 13.01.2025 के अनुसरण में।
2. निदेशक, निदेशालय, **सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग** (सचिवालय परिसर), जयपुर।
3. **सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा को उक्त बोली आमंत्रण सूचना विज्ञप्ति, बोली प्रपत्र एवं बोली शर्तें राजस्थान लोक उपापन पोर्टल की वेबसाइट http://www.sppp.rajasthan.gov.in पर एवं जिला न्यायालय की विभागीय वेबसाइट http://www.districts.ecourts.gov.in/kota पर अविलम्ब प्रकाशित कर, पुष्टि उपलब्ध करवाने हेतु।**
4. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, **बूँदी/बाराँ/झालावाड़** को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करवाने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय **सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी/नगर विकास न्यास/नगर निगम/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, कोटा (राजस्थान)।**
6. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा।
7. सम्बन्धित न्यायालय **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांगोद जिला–कोटा।**
8. नोटिस बोर्ड, अधीनस्थ न्यायालय–**रामगंजमण्डी/ इटावा/ सांगोद/ कनवास/ दीगोद/ खैराबाद (कोटा)**
9. **रोकड़िया**, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा को **बोली प्रपत्रों का निर्धारित तिथि तक विक्रय कर**, प्राप्त राशि को लेखाशीर्षक 00–75–800–(52)–[01]-00 के अन्तर्गत राजकोष में जमा करवाने हेतु।
10. ज्ञात फर्म मैसर्स ....

....

अध्यक्ष, उपापन समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

एस.आर. प्रपत्र–15
[GF&AR Part-II का नियम–68(1)]
[RTPP का नियम–36(2)]
बोली प्रपत्र शुल्क 500/–

बोली प्रपत्र

बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 02/2024–2025

1. कार्य का नाम– **कोटा न्यायक्षेत्र में नवसृजित न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांगोद, जिला–कोटा अधिकरण, कोटा हेतु नवीन आईट्मस का क्रय**

2. बोली प्रस्तुत करने वाली **फर्म का नाम** –

3. बोली प्रपत्र शुल्क की राशि 500/– नकद रसीद संख्या दिनांक द्वारा जमा करा दी गई है।

4. **बोली प्रतिभूति (EMD) राशि** 5100/– जमा का बैंक ड्राफ्ट संख्या.......................... दिनांक.............................बैंक का नाम.. ....का सलंग्न कर दिया है।

5. बोली में अंकित सामानों का **अनुमानित मूल्य** 2,55,000/– रूपये है।

6. फर्म द्वारा आदेश प्राप्ति की दिनांक से **30 दिन की अवधि** में माल की सुपुर्दगी कर दी जावेगी।

7. **दरें दिनांक 31.03.2025 तक के लिए विधि मान्य हैं,** इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।

8. फर्म का आयकर/जीएसटी नं..है।

9. **क्रय किए जाने वाले आईटम सलंग्न प्रपत्र के अनुसार हैं । आईटम के सामने फर्म द्वारा दरें अंकित की गई हैं जिसमें समस्त कर/जीएसटी शामिल है।**

10. हम जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा द्वारा जारी की गई बोली आमंत्रण सूचना संख्या 02/2024–2025 दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त बोली सूचना की **अतिरिक्त शर्तो विनिर्देश से बाध्य होना स्वीकार करते है।** जिसको स्वीकर करने के प्रमाण में इनके सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।

अध्यक्ष क्रय समिति
कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कोटा (राज.)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

घोषणा पत्र

[GF&AR Part-II का नियम–48(vii)&RTPP नियम 39(4)] एस.आर. प्रपत्र–11

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तो का मैनें हमनें अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि **जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोटा** का निर्णय हमारे लिए मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है, कि मेरी/हमारी फर्म द्वारा वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा जिन मालों / सामानों / उपकरणों के लिए निविदा की गई है उसके हम बोनाफाईड विनिर्माता / थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/विपणन एजेन्ट है। राज्य सरकार/बोर्ड/ विश्वविधालय/स्वायत्तशासी संस्थान/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीकस्वरूप बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मय सील) कर दिये है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कारवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर किया जा सकेगा तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

दिनांकः–

बोलीदाता के हस्ताक्ष मय मुहर
पूर्ण पता व टेलिफोन न.

कार्यालय–जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा

अध्यक्ष क्रय समिति
कार्या. जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कोटा (राज॰)

बोली प्रपत्र शुल्क 500 रूपये

बोली प्राप्ति दिनांक 13.02.2025 को समय 02:00 पी.एम. तक

बोली खोलने की दिनांक 13.02.2025 को समय 04:00 पी.एम. पर

बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 02 / 2024–25

बोली प्रपत्र (विशिष्टयाँ)

क0 सं0	नाम सामग्री	विशिष्टियां (Specification)	मात्रा	अनुमानित राशि	निविदत्त दर प्रति नग (मय जीएसटी) (Make & Model No.)	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
01	कम्प्यूटर (डेस्कटॉप)	Processor-x86 Processor i.e. Intel I5 12000 Series and Higher OS- (Ubuntu) DOS RAM- 8GB DDR-4 320000Mhz or Higher Storage : 512 GB SSD or Higher, Network: Integrated Giigabit Ethernet Controller with RJ- 45 Connector External Port : 2 USB 2.0 and 2 USB 3.0 and Higher, 1 HDMI Port Display-19.5" and Higher LCD/TFT Mouse & Keyboard: Standard OEM Keyboard and Mouse **(Minimum One Year Warranty)**	3	114000/-		
02	यू.पी.एस. **(600 VA)**	600 VA UPS, 3 Power Socket Backup 10-15 Mintues, Input Voltage 140-270V, 47-53 hZ **(Minimum One Year Warranty)**	3	6000/-		
03	प्रिन्टर (लेजर)	Type- Laser Printer, DUPLEX USB Connectivity, Network enable Copy Speed-29 Page Per Minute **(Minimum One Year Warranty)**	3	60000/-		
04	फोटो कॉपियर मशीन	Must be of Reputed brand Copies per Minute: 20-24 Page Per Minute Input Tray: Standerd + By Pass Tray Document Feeder: DADF/RADF Conncectivity: USB, Ethernet, Wireless Media Supported: 60-150 GSM Memory (RAM): 1 GB and Higher Storage: 2 GB OS Compatibility: Windows, Linux: CUPS, LPD(x86/x64) Supported **(Minimum One Year Warranty)**	1	75000/-		
		TOTAL		**255000/-**		

नोट :

1. ओवरराईटिंग नहीं करें। कटिंग पर हस्ताक्षर करें।
2. समस्त मदों की दरें अंकों और शब्दो में लिखना अनिवार्य होगा।
3. प्रत्येक मद की बोली केवल एक ही दर अंकित करना आवश्यक है। अन्यथा स्थिति में एक से अधिक दर अंकित होने पर केवल न्यूनतम दर ही स्वीकार्य होगी।
4. दर के समर्थन में आईटम का मेक (**Make**) व ब्रोशर भी संलग्न किया जावे।
5. दर प्रस्ताव बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के अध्यधीन प्रस्तुत की गई है।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 02/2024–2025

खुली बोली प्रक्रिया के लिए बोली एवं संविदा की आवश्यक शर्तें

एस.आर..प्ररूप–16

[GF&AR पार्ट–II का नियम–68(3)]

[RTPP का नियम–36(3)]

1. बोलीं विहित प्ररूप–में प्रस्तत की जावेगी। जिन्हे इस कार्यालय से 500/– रूपये नकद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है । **RTPP नियम 45(1) के अनुसार बोली दस्तावेज SPPP पोर्टल से डाउनलोड करने पर इसकी कीमत का संदाय भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा के पक्ष में डी.डी. द्वारा किया जा सकेगा।** यह राशि प्रतिदाय नहीं होगी।

2– बोलियाँ बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"कोटा न्यायक्षेत्र के नवसृजित न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांगोद, जिला–कोटा हेतु नवीन आईटम क्रय"** हेतु बोली' लिखा होना चाहिए ।

3– **बोलियाँ दिनांक 13.02.2025 को समय सांय 02:00 बजे तक या उससे पूर्व प्रस्तुत करनी होगी। बोली दिनांक 13.02.2025 को सांय 04:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष उपापन समिति अध्यक्ष के अवकाशागार में खोली जावेगी।**

4– न्यूनतम दरें वाली बोली को स्वीकार करने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगी तथा किसी भी बोली को या उस बोली के किसी भाग को बिना कारण बताऐं रद्द किये जाने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष (क्रय समिति) के पास सुरक्षित रहेगा।

5– विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

6– निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग इकाईयों के द्वारा मूल पंजीयन प्रति या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत करने पर **उन सामानों के लिए, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है**, बोली प्रतिभूति (EMD) राशि प्रस्तावित मूल्य का 0.5 प्रतिशत एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) राशि आदेशित मात्रा के मूल्य की 1 (एक) प्रतिशत अथवा 0.5 % यथासमय प्रभावी ली जावेगी।

7– वर्णित सामान की आपूर्ति बोली स्वीकार करने/**कार्यादेश जारी करने की तिथि से 30 दिवस के अन्दर** की जावेगी। उक्त अवधि में करार निष्पादित करने की अवधि भी शामिल होगी। विहित परिदत्त अवधि में बोलीदाता जिन सामानों का प्रदाय करने में असफल रहेगा **सा.वि.ले.नियम भाग–II के नियम–58(3) के अनुसार परिनिर्धारित नुकसान (LD) की वसूली/कटौति की जावेगी तथा संविदा शर्तो को भंग करने की स्थिति में आरटीपीपी नियम–2013 के नियम–42 (11) के अनुसार बोली प्रतिभूति (EMD) राशि जब्त करने तथा नियम–76(3) में प्रावधितानुसार** सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध आरटीपीपी अधिनियम–2012 या नियम–2013 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम या लाभप्रद बोली लगाने वाले को निविदा स्वीकृति का प्रस्ताव देने के लिए स्वतंत्र होगी।

8– **केवल मेन्युफेक्चरिंग यूनिट में रजिस्टर्ड निर्माता कम्पनियों द्वारा निर्मित (ब्रान्डेड) प्रोड्क्ट ही क्रय किए जावेंगे** तथा एसेम्बल्ड प्रोड्क्ट क्रय हेतु स्वीकार नहीं किए जावेंगे।

9– **क्रय समिति द्वारा सामग्री क्रय का निर्णय गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन पूर्णता के आधार पर प्रत्येक आइटम वाईज वित्तीय परिणामों एवं नमूना परीक्षण सहित गुणवत्ता एवं टिकाऊपन (Durability) पर आधारित होगा। बोलीदाता द्वारा संबंधित आईटम के ब्रोशर मय मेक बोली के साथ संलग्न करना होगा तथा क्रय समिति द्वारा सामग्री के भौतिक निरीक्षण/परीक्षण उपरान्त क्रय बाबत निर्णय लिया जावेगा। भौतिक परीक्षण हेतु सामग्री (आइटम) जिला न्यायालय परिसर में फर्म को स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध/प्रस्तुत करवाना होगा। एतएव दर मूल्यांकन का विश्लेषण वांछित तकनीकी स्पेसिफिकेशन के अनुरूप प्रत्येक आइटम वाईज अलग–अलग किया जावेगा।**

अध्यक्ष क्रय समिति
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोटा (राज.)

10– बोली प्रपत्र में अंकित विशिष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नही होगा। दर के समर्थन में Make & Model No. अंकित कर उससे सम्बन्धित ब्रोशर भी संलग्न करना अपेक्षित होगा।

11– **बोली प्रतिभूति (EMD) राशि 5100/– का ड्राफ्ट "जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा" के पक्ष में देय संलग्न करना होगा।**

12– निविदादाता को सामग्री की आपूर्ति जिला न्यायालय परिसर अथवा वांछित आपूर्ति स्टेशन (सांगोद मुख्यालय) पर करनी होगी।

13– किसी भी प्रकार का लगने वाला कर, जीएसटी, शुल्क स्वयं बोलीदाता द्वारा देय होगा। **अतः दरें समस्त कर व शुल्क सहित ही प्रस्तुत करनी होगी।** आवश्यक होने पर G.S.T. व T.D.S. की कटौती उपापन संस्था के स्तर पर की जाकर भुगतान किया जा सकेगा।

14– सामग्री की मात्रा घटाई या बढाई जा सकती है अथवा किसी आइटम को क्रय करने/न करने के संबंध में उपापन समिति को पूर्ण अधिकार होगा।

15– बोली की विधिमान्यता अवधि आरटीपी नियम–2013 के नियम 48(1) के अनुसार **90 दिवस तक विधि मान्य रहेगी** किन्तु अपवादिक परिस्थिति में बोलीदाता की पारस्परिक सहमति से विधिमान्यता अवधि अभिवृद्धि की जा सकेगी तथा बोली स्वीकृति के पश्चात् **अनुमोदित/स्वीकृत दर 31.03.2025 तक मान्य होगी ।**

16– सफल निविदादाता बोली स्वीकृति की सूचना की तिथि से सात दिवस में **आरटीपीपीप नियम–70(7) सपठित 76(2)** के अनुसार अपेक्षित मूल्य रूपये 500/– के न्यायिकेतर स्टॉम्प पर **एस.आर. प्ररूप–17 में एक करार निष्पादित कर, कार्यादेश राशि की 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) राशि** जर्ये ड्राफ्ट जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा के पक्ष में जमा करवाना होगा। उक्त अवधि आपूर्ति अवधि 30 दिवस में ही शामिल रहेगी। सामग्री की सप्लाई संतोषजनक एवं नियत अवधि में नहीं होने की स्थिति में **जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) राशि** जब्त करने के दायित्वाधीन होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति गारंटी/वारण्टी अवधि बिना त्रुटिदायित्व के संतोषप्रद रूप से समाप्त होने पर लौटाई जा सकेगी। GF & AR पार्ट–II नियम 57 (5) (ख) (i) व (ii) सपठित RTPP अधिनियम की धारा–46 (4) के प्रावधानन्तर्गत कार्य सम्पादन प्रतिभूति समपहृत (forfeited) के दायित्वाधीन होगी।

17– यदि बोलीदाता द्वारा किसी अन्य विभाग/कार्यालय में बोली में अंकित सामग्री का निष्पादन किया गया हो तो ऐसे विभाग/कार्यालय के नाम भी प्रस्तुत किए जावें ।

18– बोलीदाता क्रय सामग्री की यह भी गारण्टी देगा कि सुपुर्दगी तिथि से दिन/माह/वर्षो की अवधि के लिए यथा विर्निष्टि विवरण एवं गुणवत्ता के अनुसार सामग्री बनी रहेगी ।

19– सफल बोलीदाता को सफलतापूर्वक आपूर्ति निष्पादित उपरान्त सम्बन्धित न्यायालय **"अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांगोद, जिला–कोटा"** के लेखाशीर्षक 2014–00–105–(19)–[01] की विस्तृत इकाई–05 कार्यालय व्यय में उपलब्ध बजट प्रावधानों के अध्यधीन भुगतान ऑनलाईन व्यवस्था के माध्यम से बोलीदाता के खाते में किया जावेगा। जिसके लिए फर्म को पेन कार्ड बैंक खाता संख्या उपलब्ध करवाना होगा। भुगतान पर नियमानुसार आयकर (T.D.S.) देय होगा।

20– **बोली स्याही या बालपेन या टंकण से भरी जावें । पेन्सिल से भरी निविदा से विचार नहीं किया जावेगा, ओवर राईटिंग/कटिंग नहीं करें । ओवर राईटिंग/कटिंग होने पर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें ।**

21– सशर्त बोली प्रथमदृष्टया निरस्त योग्य होगी।

22– सामग्री की गारण्टी/वारण्टी अवधि में नियमानुसार सप्लायर फर्म को निःशुल्क सर्विस उपलब्ध करानी होगी।

23– आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं रूल्स 2013 व सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम के समस्त प्रावधान उक्त क्रय पर लागू एवं प्रभावी रहेंगे।

24– **बोलीदाता को जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।**

25– **यद्यपि सभी मदों की दरें डालना अनिवार्य नहीं है। प्रतिष्ठान/फर्म द्वारा जो मदें विक्रय की जाती है, केवल उनकी भी दरें निविदत की जा सकती है।** एतएव जिन मदों की दर निविदत नहीं की जा रही है, उसके रेट कॉलम में **'N.A.'** अंकित कर दिया जावे। **प्रस्तुत दर के समर्थन में आईटम का मेक/ब्रान्ड व गारंटी अवधि भी अंकित की जावेगी तथा सम्बन्धित ब्रोशर भी संलग्न किया जावेगा। प्रत्येक आइटम की एकल दरें ही मान्य होगी तथा एक से अधिक दर अंकित करने पर सम्बन्धित आइटम की न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी।**

26– **सा.वि.ले.नि. भाग–II के एस.आर. प्ररूप–16 एवं वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 04.02.2013 के संलग्नक (एनेक्चर ए से डी) की सम्पूर्ण शर्तो यथा उपान्तरित सहित उक्त उपापन पर प्रभावी रहेगी।**

27– RTPP नियम 51 (2) के अनुसार बोली प्राप्त करने या बोली खोलने की तिथि को राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने की स्थिति में बोली अगले कार्य दिवस को प्राप्त या खोली जावेगी।

28– **फर्म द्वारा बिड में अंकित मेक (Make) के अनुसार ही वास्तविक विनिर्माता (Make) की सामग्री ही आपूर्त करनी होगी। एसेम्बल्ड प्रोडक्ट क्रय हेतु स्वीकार नहीं किए जावेंगे। पश्चात्वर्ती रूप से छद्म अथवा नकली (डुप्लीकेट) प्रोडक्ट की आपूर्ति पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।**

8

29– **दर स्वीकृति बाद आपूर्ति आदेश के अनुसार सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म अनुमोदित सेम्पल व Make के अनुरूप उपापन मदों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा** तथा आपूर्ति मदों की उचित पेकिंग स्वयं के खर्चे पर करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति/टूट फूट नहीं हो तथा गन्तव्य स्थल पर उपापन संस्था को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। **परिवहन के दौरान अथवा आपूर्ति प्राप्ति के समय किसी भी प्रकार की हानि, क्षति, टूट–फूट या कमी होने पर, बोलीदाता फर्म उपापन संस्थान को उन मदों की कमीपूर्ति/सुधार करने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जावेगी।**

30– **यदि क्रय मदों की आपूर्ति उपापन संस्था की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जावेगी तो सम्बन्धित बोलीदाता (आपूर्तिकर्ता फर्म) को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद उपापन संस्था प्रदाय हेतु संविदा को किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकेगी, जो आपूर्तिकर्ता फर्म पर बाध्यकारी होगी।**

31– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम–73 के अनुसार उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपापन नहीं करती है या बोली दस्तावेज में अंकित मात्रा से कम उपापन करती है तो बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त मदों या परिमाण के लिए पुनरादेश दिया जा सकेगा। पुनरादेश के लिऐ आपूर्ति अवधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश की मात्रा मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत तक होगी। यदि बोलीदाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो उपापन संस्था अवशेष सामान की सप्लाई कोटेशन/सीमित बोली पद्धति या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगी तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी बोलीदाता से वसूली की जावेगी।

32– **बोलीदाता को जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा बोली के साथ GST रजिस्ट्रेशन व आयकर रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में बोली स्वीकार करने योग्य नहीं होगी।**

33– **राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–64 में प्रावधित प्रक्रियानुसार अंक गणितीय सुधार किया जा सकेगा।**

34– **अनुमोदित प्रदायकर्ता आपूर्ति आदेश के किसी भी भाग/मात्रा को किसी अन्य ऐजेन्सी/फर्म को नहीं सौपेगा तथापि उप–भाड़े (सब–लेट) पर नहीं देगा।**

35– प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएँ बोली में निर्धारित विनिर्देश (स्पेसिकफकेशन) के मानकीकृत (स्टेन्डर्ड) के अनुसार अतिउत्तम गुणवत्ता एवं विवरण (Very best quality & description) के अनुसार होगी। **इस बाबत उपापन संस्था द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम एवं सम्बन्धित बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।**

36– करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा मूल प्रति प्रस्तुत की जावेगी।

37– वित्तीय बोली खोलने के बाद आवश्यकता हुई तो RTPP नियम–2013 के नियम– 69 (2) के अनुसार न्यूनतम दरदाता से बातचीत (नेगोसिएशन) किया जा सकेगा। किन्तु नेगोसिएशन बोली लगाने वाले द्वारा दिये गए मूल प्रस्ताव को प्रभावहीन नहीं करेगी।

अध्यक्ष क्रय समिति कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटा (राज.)

38– आपूर्ति जब भी प्राप्त की जाएगी, उनका निरीक्षण/परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाएगा कि वे वांछित स्पेसिफिकेशन या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहाँ आवश्यक एवं व्यवहारिक होगा परीक्षण उसके विषय विशेषज्ञ से करवाया जा सकेगा।

39– निरीक्षण एवं परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा उन्हें निर्धारित अवधि में उसकी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

40– जहाँ सरकार कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से प्रश्नांकित मदों को बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जावेगा, तो उपापन संस्था बोलीदाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएगें, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेगी। इस प्रकार की गई कटौती अन्तिम होगी।

41– बोलीदाता को उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

7

42– उपापन समिति या उसका नामित प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त समयों पर यथा आवश्यक होने पर प्रदायकर्ता के शोरूम/गोदाम/परिसर/वर्कशॉप में जावेगा तथा जैसा भी निश्चित किया जावेगा क्रय मदों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जाँच करने की सम्पूर्ण शक्तियाँ होगी।

43– **समस्त बोलीदाताओं को इन शर्तो व विनिर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा बोली प्रस्तुत करते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना बोलीदाता पर बाध्यकारी है।**

44– **किसी भी प्रकार के विवाद में न्यायक्षेत्र कोटा शहर होगा ।**

अध्यक्ष (उपापन समिति)
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

सहमति स्वरूप बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय फर्म मोहर

10

अध्यक्ष क्रय समिति
कार्या. जिला एवं सेशन न्यायालय
कोटा (राज०)

एस.आर. प्ररूप–17

करार (अनुबंध) पत्र

(GF&AR पार्ट–II का नियम–68)/[RTPP का नियम–76(2)]

(निर्धारित नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 02/2024–2025

1. यह करार पत्र **आज दिनांक** .... माह .... सन् .... को **प्रथम पक्ष** .... (अनुमोदित सप्लायर) तथा राजस्थान राज्य सरकार की ओर से **जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा द्वितीय पक्ष** के मध्य सम्पन्न किया हुआ समझा जावेगा।

2. **अनुमोदित सप्लायर** .... राजस्थान राज्य के जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा द्वारा जारी खुली बोली आमंत्रण सूचना संख्या 02/2024–25 दिनांक .... के अनुक्रम में प्रस्तुत कार्य/सामान .... की निविदा के प्रतिफल में उक्त कार्यालय से प्राप्त कार्यालय/आपूर्ति आदेश क्रमांक ....दिनांक ....राशि ....अक्षरे ....में दी गई सभी वस्तुओं/सामानों की आपूर्ति निविदा एवं संविदा की शर्तो पर दिये गये तरीके/प्रक्रिया से सरकार को करने के लिए सहमत हो गया हूं।

3. उक्त कार्यादेश/आपूति आदेश की राशि ....के पेटे @ 5 प्रतिशत दर से राशि ....की **कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) राशि** बैंक ड्राफ्ट संख्या ....दिनांक ....से जमा करवाई जा चुकी है।

4. यदि अनुमोदित सप्लायर कार्यादेश/आपूर्ति आदेश के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में कार्य/आपूर्ति करेगा, उक्त शर्तो का पालन करेगा तथा उन्हें बनाये रखेगा तो सरकार जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा के माध्यम से राज्य सरकार की वित्तीय नीति निर्देशों के अनुसार प्रत्येक माल प्रेषण की देय राशि का भुगतान करेगी या करवाएगी।

5. माल की सुपुर्दगी कार्य आदेश जारी होने की तिथि से दिनांक .... तक **(अन्दर तीस दिवस)** में प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जावेगी।

6. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा द्वारा विनिश्चत किए जावेंगे जो अन्तिम रूप से स्वीकार/मान्य होंगे।

निम्नांकित की साक्षी में दोनों पक्षकारों ने आज दिनांक .... को अपने हस्ताक्षर किए।

प्रथम पक्षकार
(अनुमोदित सप्लायर का नाम एवं मोहर)

द्वितीय पक्षकार
(राज्यपाल की ओर से
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कोटा (राज.)

दिनांक : ....

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 2

साक्षी संख्या 2

अध्यक्ष क्रय समिति
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोटा (राज.)

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

अध्यक्ष क्रय समिति
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोटा (राज.)

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:	Signature of bidder
Place:	Name :
	Designation:
	Address:

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

अध्यक्ष क्रय समिति
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोटा (राज०)

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
  (i) hear all the parties to appeal present before him; and
  (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

अध्यक्ष क्रय समिति
कार्या. जिला एवं सैशन न्यायाधीश
कोटा (राज०)

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

15

अध्यक्ष/क्रय समिति
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोटा (राज.)

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
....
....
.... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
....
....
....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature